5. General discussion on Budget (General) for 2014-15

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Now, we take up matters to be raised with the permission of the Chair, Zero Hour. Shri Prabhat Jha ...(Interruptions)...

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश): उपसभापित महोदय, मेरा एक राष्ट्रीय महत्व का सवाल है। आप कृपया एक मिनट के लिए सुन लीजिए, मैं बड़ी देर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Listen, I have started the Zero Hour. After the Zero Hour is over, I will allow you time. Shri Prabhat Jha.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Rape of a minor girl in Bokaro in Jharkhand on the direction of a social panchayat

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश) : उपसभापित महोदय, देश में अब तक हम सभी लोगों के ध्यान में यह बात आती रही है, कश्मीर से लेकर केरल तक कोई भी घटना होती है, सबसे शर्मनाक घटना बलात्कार की होती है, जिस पर हम सब लोगों का सिर शर्म से झुक जाता है। लेकिन उससे भी एक क़ुरतम घटना जब झारखंड के गोमिया थाना, स्वांग उत्तर पंचायत में घटती है, तो लगता है कि हम सबको जीने का अधिकार नहीं बचा है। बलात्कार जबरिया किया जाता है, लेकिन वहां पर एक पंचायत का मुखिया एक फरमान जारी करता है। गांव में किसी व्यक्ति की पत्नी के साथ छेड़खानी होती है, गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पासी समाज की पंचायत बैटती है। ...(व्यवधान)... एक मिनट, यह बहुत गंभीर मामला है। जब पंचायत बैठती है तो उसके द्वारा यह पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी पत्नी के साथ छेड़खानी हुई है। वह कहता है, हां, हुई है। उसके बाद वह मुखिया फरमान देता है कि जाओ, इसकी दस साल की बेटी के साथ तूम रेप करो, चाहे जो करो, यह मेरा आदेश है - इस प्रकार का फरमान पंचायत जारी करती है। वह भी एक संवैधानिक संस्था है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? महोदय, घटना यहीं नहीं रुकती है। घटना और आगे जाती है। गांव वालों के सामने उस दस साल की बिटिया को वह व्यक्ति जंगल में लेकर जाता है, उसका रेप करता है और गांव के लोग कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज़ाद भारत के बाद हमने सुना था कि बलात्कार की घटना होती है। जो झारखंड में हुआ, उसमें मैं न सरकार की ब्राई करता हूं, न किसी की बात करता हूं, यह मानवीय संवेदना की बात है। जब वह घटना घटती है तो गांव का एक भी व्यक्ति वहां नहीं बोलता है। इसलिए मुझे लगा कि सदन में यह बात लानी चाहिए। इतना ही नहीं होता है, दिन दहाडे उस दिल दहलाने वाली घटना को पूरे गांव के लोग अपनी आंखों से देखते रहते हैं, लेकिन उस मासूम को बचाने के लिए कोई एक आदमी आगे नहीं आता है। जब खुद उसका पिता रोता और चिल्लाता है, उसकी मां रोती है, तब जाकर बड़ी मुश्किल से थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है, लेकिन अभी तक उसमें बस्ती का कोई व्यक्ति पकड़ा नहीं गया, क्योंकि कोई इस बात की गवाही देने को तैयार

[श्री प्रभात झा]

नहीं है। जब वह थाने पहुंचा और उसने कहा कि रिपोर्ट लिखिए, तो उससे कहा गया कि किठनाई यह है कि कोई गवाह नहीं बन रहा है। इतनी बड़ी शर्मनाक घटना वहां घटती है। जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, जो नाबालिंग है, वह वहां है। इसलिए मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि किसी की भी सरकार झारखंड में हो, भारत की धरती पर इस तरह से यह तालिबानी फरमान करना, कि जाओ, बलात्कार करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारा सदन इस घटना से शर्मसार होगा और मेरी बात से सहमत होगा।

डा. कर्ण सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : उपसभापति महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

कई माननीय सदस्य : उपसभापति महोदय, हम सभी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, the entire House is one on this. \dots (Interruptions)...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): This is not only a question of the entire House being associated itself with it. I think the entire police of that place and the entire village should be held responsible for this. This is not a question of 'a' government or 'b' government. ...(Interruptions)... How has it been allowed? Only last year we had passed a legislation. What has happened to that legislation if we do not take action on such issues? ...(Interruptions)... We are all one on this issue. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In any case, ...(Interruptions)... This is such a heinous crime on a minor girl. If whatever stated here is true, it is very serious. I think the Government should inquire and come back to the House on what is the position. ...(Interruptions)... It should be inquired into. Also if such a crime has happened, serious action should be taken. ...(Interruptions)... Whatever is possible by the Government of India, it should be done. ...(Interruptions)...

श्री अनिल माधव दवे (मध्य प्रदेश) : सर, ऐसे व्यक्ति को सख्त सज़ा दी जानी चाहिए।...(व्यवधान)...ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से सजा दी जानी चाहिए।...(व्यवधान)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): सर, यह बहुत ही गंभीर मामला है।...(व्यवधान)...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत) : उपसभापित महोदय, आपके निर्देश और सदन की भावना का सम्मान करते हुए, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं गृह मंत्री जी से बात करके, इस गंभीर घटना के बारे में आवश्यक कार्यवाही कराऊंगा।

श्री अश्विनी कुमार (पंजाब): सर, सदन में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत होनी चाहिए। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। सारे सदन की भावना के मद्देनज़र सरकार ने क्या एक्शन लिया है, वह एक्शन टेकन रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाए। माननीय मंत्री जी, आप इस बात का संज्ञान लें, चेयर के माध्यम से सारे सदन की यही दरख्वास्त है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मैंने डायरेक्शन दे दी है। ...(व्यवधान)... यह विषय हो गया। श्री डी. राजा। ...(व्यवधान)...

Continued Attack on Indian Fishermen particularly Tamil fishermen by Sri Lankan forces

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I draw the attention of the entire House and I also draw the attention of the Government to the miserable plight of Indian fishermen. The fishermen from Tamil Nadu, the fishermen from Puducherry have been continuously attacked, harassed and arrested by the Sri Lankan forces. Many of them are still in the prisons of Sri Lanka. Every political party in Tamil Nadu has raised this issue. The Chief Minister has repeatedly written to the Central Government. Despite all these things the fishermen are in prisons, fishermen are being attacked, their fishing is being affected. It is a serious matter. I do not know what the Government is going to do because I have been raising this issue, my colleagues have been raising this issue umpteen times in this House for years together but nothing is happening in reality. No protection is for our fishermen. Sir, here I would like to underline the fact that there are certain bilateral issues with Sri Lanka. I do not want any mercy from the Government towards fishermen. They are Indian fishermen. Because they speak Tamil, do not treat them as Tamil fishermen. They are Indian fishermen. Indian Government has the responsibility to protect the Indian fishermen. This is number one. Number two, Sir, we will have to strive for a long-term lasting solution. That lies in the resolution of Kachchatheevu dispute. I am saying it as a 'dispute' even though the Government claims it is a settled matter, a bilateral matter between Indian and Sri Lanka. The agreements were done in 1974 and 1976. At that point of time a promise was given that the traditional fishing rights of the Indian fishermen will be protected. Now they say the right to access to Kachchatheevu is not to be understood as to cover the fishing rights of fishermen. That is where the question comes whether these agreements need to be reopened. The 1974 and 1976 Kachchatheevu Agreements should be reopened and should be renegotiated.

If Sri Lanka thinks that it cannot be reopened and it is a closed chapter, India should caution the Government of Sri Lanka that if India is forced to such a position we would claim retrieval of Kachchatheevu Islands. It was an agreement. You go through the debates that took place in this House as well as in the other House. (*Time-Bell rings*) Just find out what Madam Indira Gandhi said in those days. ...(*Interruptions*)...